कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 3100 /FP/UK/ROAD/40805/2019 : देहरादूनः दिनांकः 27 जून, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अर्न्तगत चण्ड़ाक से धारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.911 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्राक–8 बी/यू0सी0पी0/06/23/2021/एफ0सी0/1446, दिनांक–19.01.2022।(प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक–17.03.2021 द्वारा 11 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी थी, जिसकी विन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्राक–1592,दिनांक–03.01.2022 द्वारा आपको पूर्व मे प्रेषित की गयी है**(छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित)**। उपरोक्त के कम मे भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक–19.01.2022 द्वारा विषयांकित प्रकरण में 04 विन्दुओं पर आपत्ति लगाई गयी थी, जिसकी सूचना आख्या वन सरक्षक, उत्तरी कमाऊँ वृत्त, अल्मोडा के पत्र–5424/दिनांक–07.06.2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

क0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1.	प्रस्तुत बार चार्ट पर उपलब्ध जानकारी अनुसार लाभान्वित होने वाले ग्राम पौण एवं डगूरी को के0एम0एल0 फाईल पर नहीं दर्शाया गया है।	वन संरक्षक, उत्तरी कमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्र–5424/दिनांक–07.06.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग पिथौरागढ़, के पत्र दिनांक–21.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त के कम में चूंकि प्रश्नगत मार्ग, पूर्व निर्मित मार्ग जिसकी लम्बाई 2.00 किमी0 है से आगे की ओर ग्राम–धारी, डंगूरी तक स्वीकृत है। जिसमें इस मार्ग का प्रारम्भ बिन्दु ग्राम पौण के क्षेत्र में आता हैं, परन्तु ग्राम पौण मोटर मार्ग से जुड़ा है व डुंगरी जो कि ग्राम धारी का ही लाभान्वित होने वाला तोक है। मार्ग का विस्तार डुगरी मे स्थित चमाली मोटर मार्ग के मिलान तक लिया गया है। अतः ग्राम–पौण वन डुंगरी की भूमि प्रभावित होने के कारण बार चार्ट मे इन्हे लिया गया है। वास्तविक रूप से लाभान्वित होने वाले ग्राम–धारी जोशी(डुंगरी) है। जिस कारण से ग्राम पौण को के0एम0 एल0 मे नहीं दर्शाया गया है व डुंगरी को के0एम0एल0 में दर्शाते हुए पुनः अपलोड कर दिया गया है।
2.	मार्ग को पूर्व स्वीकृत चण्डाक–धारी मोटर मार्ग से प्रारम्भ कर आगे डूगरी तक बढाया जा रहा है। जबकि प्रारम्भ बिन्दु से ग्राम धारी तक मध्य मे आरक्षित वन क्षेत्र पड़ता है और कोई आबादी दर्शित नहीं होती है। इस प्रकार प्रस्तुत डिजिटल मानचित्र में अंकित बिन्दु सं0 1 से 13 तक के समरेखण का औचित्य स्पष्ट नहीं है।	वन संरक्षक, उत्तरी कमाऊँ वृत्त, अल्मोडा के पत्र–5424/दिनांक–07.06.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग पिथौरागढ़, के पत्र दिनांक–21.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व स्वीकृत चण्डाक धारी मोटर मार्ग(ल0 2.00 किमी0) की वन भूमि हस्तान्तरण कर विधिवत स्वीकृति शासनादेश सं0 2756/7–1–2013–600(2986)/2009, दिनांक–15.07.2013 द्वारा 1.4 हे0 वन भूमि की प्राप्त है(संलग्न) प्रस्तावित मोटर मार्ग को इसके अंतिम बिन्दु से आगे बढाए जाने के संबध में स्पष्ट कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 241।।(2)/18–44(एम0 एल0ए0)/2017, दिनांक–10.01.2018 द्वारा चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार(ल05.00किमी0) के नाम से प्राप्त है। व पूर्व निर्मित 2.00 किमी0 भाग जो की डामरीकृत स्टेज तक पूर्ण हो चूका है, से आगे की ओर धारी डुंगरी तक मार्ग का समरेखण किया गया है प्रारम्भ बिन्दु से ग्राम धारी तक मध्य में मात्र 235 मी0 आरक्षित वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जो कि समरेखण के अनुसार न्यूनतम है व इसमें प्रभावित 51 वृक्षों की

		सं0 भी न्यूनतम है, जिस हेतु वन संरक्षक, अल्मोडा द्वारा भी निरीक्षण उपरान्त न्यूनतम वृक्षो के पातन सबधी आख्या दी गई है। पूर्व मे प्रस्तुत डिजिटल मानचित्र में अंकित क्रम संख्या–1 से 13 के समरेखण को संशोधि कर पुनः डिजिटल मैप अपलोड कर दिया गया है।
3.	धारी गांव से दायी ओर एक अन्य मार्ग दिखायी दे रहा है जिसकी कोई जानकारी प्रस्तुत नही की गई है, जहां से यदि आवश्यक हो तो धारी गांव को जोडा जा सकता है जिससे निश्चित ही पातन मे कमी आयेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कमाऊँ वृत्त, अल्मोडा के पत्र–5424/दिनांक–07.06.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग पिथौरागढ, के पत्र दिनांक–21.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि धारी गांव के दायी ओर एक मार्ग दिखायी दे रहा है जो कि प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अर्तगत निर्मित चण्डाक चमाली मोटर मार्ग है। इसके किमी0 4.00 बगौर नामक स्थान से यदि धारी को जोडा जाता है तो इस समरेखण की 550 मी0 लम्बाई में आरक्षित भूमि प्रभावित होगी जो कि सघन बाज वृक्षो से आच्छादित है व वर्तमान समरेखण मे प्रभावित होने वाले 51 वृक्षों से कही अधिक होगी व चण्डाक चमाली मोटर मार्ग का 4.00 किमी0 का भू–भाग शीतकाल में लगभग 02 माह बर्फ से बाधित रहता है।
4.	इसके अतिरिक्त अन्त बिन्दु से ग्राम धारी पर मार्ग को समाप्त किया जा सकता है। धारी गॉव को दोनो ओर से मार्ग से जोडने का औचित्य भी अस्पष्ट है, जिसे स्पष्ट किया जाये।	वन संरक्षक, उत्तरी कमाऊँ वृत्त, अल्मोडा के पत्र–5424/दिनांक–07.06.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग पिथौरागढ, के पत्र दिनांक–21.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि धारी गॉव को दोनो ओर से मार्ग से जोडा जा रहा है जिसके संबध मे स्पष्ट कराना है कि डुगरी जो कि ग्राम धारी का ही लाभान्वित होने वाला तोक है व क्षेत्र के अन्य ग्राम–पाभैं, बास्ते, कुचगाड आदि के ग्रामवासियो को वर्तमान में पिथौरागढ मुख्यालय तक आने हेतु लगभग 16 किमी0 दरी तय करनी पडती है, जबकि प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से इस क्षेत्र की आबादी को जिला मुख्यालय पहुंचने में मात्र 9 किमी0 दूरी ही तय करनी होगी। अतः मार्ग की स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष चण्डाक चमाली मोटर मार्ग के मिलान बिन्दु डंगुरी तक 4.500 किमी0 लम्बाई मे मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। स्पष्टीकरण हेतु के0एम0एल0 मैप तैयार कर ई–मेल के माध्यम से भेजा जा रहा है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण मे वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा/प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– / FP/UK/ROAD/40805/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा की पत्र सख्या–5424/दिनांक–07.06.2022 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।